संख्या-99/2020/1629/26-3-2020-40(विविध)/2017

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई 2020

विषय: **वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों को लघुवन उपजों के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण तथा सहयोग दिये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-07/ज.जा.वि./2020-21, दिनांक-24.04.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-02-796-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0110-वनबन्धु कल्याण योजना (केन्द्राशं 100 प्रतिशत)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-63.00 लाख के सापेक्ष वन बन्धु कल्याण योजनानतर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों को लघुवन उपजों के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण तथा सहयोग दिये जाने हेतु धनराशि **रू0-25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र)** की स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एसोसिएट	सेवा प्रदाता के माध्यम से रू0 25,000/– प्रतिमाह (09 माह हेतु)	03 पद (1–पद ललितपुर, 1–पद सोनभद्र, 1–पद मुख्यालय)	3x9x25,000	6,75,000/-
2	ब्लॉक प्रोग्राम एसोसिएट	सेवा प्रदाता के माध्यम से रू0 18,000/– प्रतिमाह (09 माह हेतु)	02 पद (1–पद ललितपुर,1–पद सोनभद्र,)	2x9x18,000	3,24,000/-
3	तकनीकी सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर–2	सेवा प्रदाता के माध्यम से रू0 18,000/– प्रतिमाह (09 माह हेतु)	02 पद (1–पद ललितपुर,1–पद सोनभद्र,)	2x9x18,000	3,24,000/-
4	वर्क सेटअप (कम्प्यूटर हार्डवेयर,सॉफ्टवेयर स्टेशनरी इत्यादि	–	–	–	4,50,000/-
5	विविध (वर्क शाप/ बैठक/ प्रशिक्षण)	–	–	–	4,27,000/-
6	यात्रा आदि	–	–	–	3,00,000/-
	योग :–	**–**	**–**	**–**	**25,00,000 /-**

(रू0-पच्चीस लाख मात्र)

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-व्यय की गयी धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4)-गत वर्ष मंे स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 एवं 11 अप्रैल, 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0110-वनबन्धु कल्याण योजना (केन्द्रांश 100 प्रतिशत)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-490/दस-2020, दिनांक-22 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-99/2020/1629(1)/26-3-2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।